**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 2846**

**02 अगस्त, 2017 को उत्तर के लिए**

e=ky ;k dk foy ;

2846. श्री आर॰ पार्थिपनः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नीति संबंधी कार्यों में सम्मिलित शहरी विकास तथा आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालयों को विलय कर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मत है कि इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अधिशासन में यह अधिक प्रभावी होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन मंत्रालयों का विलय और गैर–विलय का लंबा इतिहास है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(राव इन्द्रजीत सिंह)**

(क) : जी, हां । भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय ने 06.07.2017 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को मिलाकर एक मंत्रालय नामत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कर दिया गया है ।

(ख): जी, हां । 'स्वास्थ्य, स्वच्छता और शहरी विकास' के मुख्य विषय के अंतर्गत सरकार द्वारा अक्तूबर, 2016 में गठित सचिवों के समूह (जीओएस) ने यह राय व्यक्त की थी कि निम्न आय वर्गों की गरीबी और आवास की समस्या को शहरी विकास के लिए योजना के सामूहिक ढांचे के भीतर निपटाया जा सकता है । यह समेकित ढांचा सबके लिए शहरी अवसंरचना निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करेगा और शहरी सेवाओं की सुपुर्दगी का सबके लिए

समान मानक और गरीबों के लिए किफायती आवास की योजनाएं बनाना सुनिश्चित करेगा । समूह ने सिफारिश की कि शहरी कार्य और आवास का एकल मंत्रालय भविष्य में शहरीकरण की गति और जटिलता से निपटने के लिए बेहतर सुसज्जित होगा ।

(ग): जी, हां । इस मंत्रालय का गठन 13 मई, 1952 को किया गया था उस समय इसे निर्माण आवास और आपूर्ति मंत्रालय के नाम से जाना जाता था । बाद में जब एक पृथक आपूर्ति मंत्रालय बना तब इसका नाम निर्माण और आवास मंत्रालय के रूप में बदला गया था । शहरी मुद्दों की महत्ता को देखते हुए सितंबर 1985 में मंत्रालय का नाम शहरी विकास मंत्रालय के रूप में बदला गया था । 8 मार्च, 1995 को शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन के पृथक विभाग के सृजन के साथ मंत्रालय को शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के रूप में जाना जाने लगा । मंत्रालय के दो विभाग थे : शहरी विकास विभाग और शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन । दोनों विभागों का 9 अप्रैल, 1999 को विलय किया गया और इसके परिणामस्वरूप इसका नाम ''शहरी विकास मंत्रालय'' रखा गया था । इस मंत्रालय को 16 अक्तूबर, 1999 से दो मंत्रालयों अर्थात (i) ''शहरी विकास मंत्रालय'' और (ii) ''शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय'' में विभाजित किया गया था । इन दोनों मंत्रालयों का 27 मई, 2000 को एक मंत्रालय में दोबारा विलय किया गया और दो विभागों; (i) शहरी विकास विभाग और (ii) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग के साथ इसका नाम ''शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय'' रखा गया । इस मंत्रालय को 27 मई 2004 को पुन: दो मंत्रालयों अर्थात (i) शहरी विकास मंत्रालय और (ii) शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय में बांटा गया । शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय का बाद में नाम आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय रखा गया ।

***